जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/उपा./जोन–14/2023/डी– 2674 दिनांक 9/11/2023

श्री अजय जामड पुत्र श्री हुकमचन्द जामड एवं
श्री रोहित जामड पुत्र श्री अजय जामड जरिये मु.आम.
श्री अजय जामड एवं
श्रीमती लीना जामड पत्नी श्री अजय जामड,
निवासी– सी–55, बजाज नगर,
लालकोठी, जयपुर, राजस्थान।

विषयः–निजी खातेदारी की योजना सुगन एनक्लेव–1, ग्राम श्रीरामपुरा तह. सांगानेर का अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम श्रीरामपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर के ख.नं. 1150/34, 1152/53, 1156/81, 1154/55, 54, 55/1, 76, 79, 80 कुल किता 09 कुल रकबा 01.51 हैक्ट. भूमि में "सुगन एनक्लेव–1" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बी.पी.सी.(एल.पी.) की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर तथा जविप्रा से रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

1351
B.
7-11-23

Layout Plan of SUGAN ENCLAVE - I

UNDER KHASRA NO.-1150/34, 1152/53, 1156/81, 1154/55, 54, 55/1, 76, 79, 80

VILLAGE- SHRIRAMPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR

SCALE :- 1CM = 5 MTR

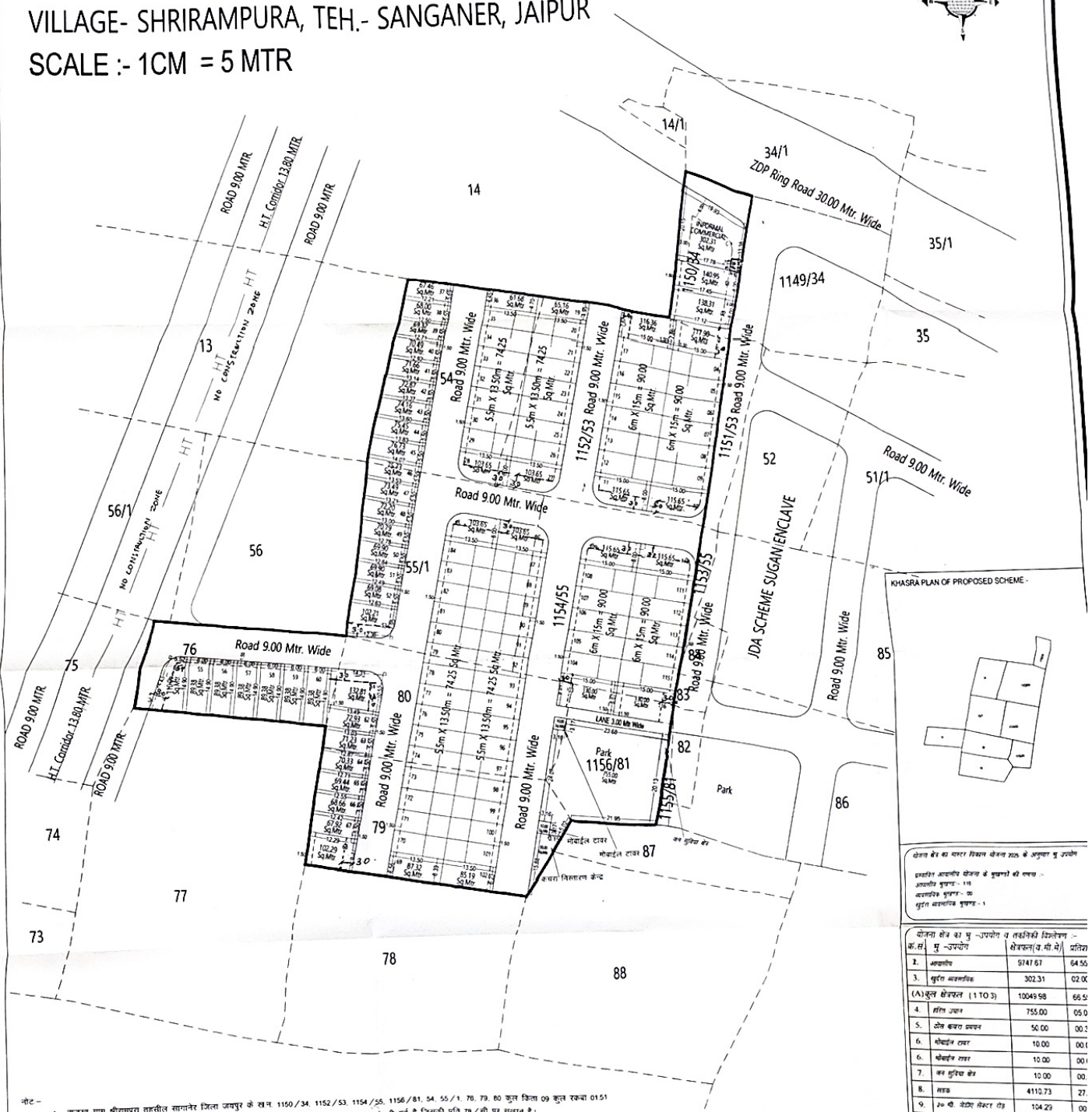

क्र.सं.	भू -उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.में)	प्रतिश
2.	आवासीय	9747.67	64.55
3.	सुरक्षित आवासीय	302.31	02.00
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 3)	10049.98	66.5
4.	सीमित उपयोग	755.00	05.0
5.	ग्रोस कवरड एरिया	50.00	00.3
6.	मोबाईल टावर	10.00	00
6.	मोबाईल टावर	10.00	00
7.	कब सुरक्षित क्षेत्र	10.00	00.
8.	सड़क	4110.73	27.
9.	24 मी. वेडेड सैक्टर रोड	104.29	00
(B)	कुल क्षेत्रफल (4 TO 9)	5050.02	33
	योजना क्षेत्रफल (A+B)	15100.00	100
	प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल	15100.00 व.मी.	

NAME OF SCHEME -

ZONE - 20 | ZDP NO- 20

NAME OF DEVELOPER -

SUBMITTED TO - JAIPUR DEVELOPMENT AU

DESIGN BY -

LAND SURVEY, PLANNING, DEMARC
TOWNSHIP DEVELOPMENT
ENGINEERING AND ARCHITECT CON

नोट :-

1. राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा 1150/34, 1152/53, 1154/55, 1156/81, 54, 55/1, 76, 79, 80 कुल किता 09 कुल रकबा 01.51 हैक्ट भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2022-23/102512 दिनांक 26.04.2023 को की गई है जिसकी प्रति 78/सी पर संलग्न है।
2. योजना की भूमि मे राजीव गांधी अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
3. योजना का भू–उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 80/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन–15 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय दर्शित है तथा आवेदित भूमि रिंग रोड डवलपमेन्ट कोरिडोर की प्रस्तावित 30 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित है।
4. योजना सुगन एनक्लेव–1 का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 मे किया गया है। जिसकी अनुपालना मे योजना मानचित्र जारी किया गया है।
5. योजना मे चहारदा व्यावसायिक के प्रावधान नीतिके के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं की.पी.सी. एल.पी.) द्वारा जारी शु.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
6. आवेदित भूमि 132 के.वी. एच.टी.लाईन के सेफ्टी कोरिडोर से प्रभावित है। योजना मे स्थित हाईटेंशन लाईन के सेफ्टी कोरिडोर को आवेदक द्वारा नो कन्स्ट्रक्शन जोन मानते उक्त गलियारे के दोनो ओर 9–9 मीटर चौडी सडक रखी जावे तथा योजना मे स्थित हाईटेंशन लाईन के सेफ्टी कोरिडोर को आवेदक द्वारा नो कन्स्ट्रक्शन जोन मानते हुये स्वय के स्तर पर उक्त भूमि के चारो ओर बाउन्ड्री चिलर लगवाते हुये नो कन्स्ट्रक्शन का बोर्ड लगवाया जावे।
7. अधिसूचना दिनाक 10.08.2020 के अनुसार उक्त योजना मे न्यूनतम 2 मोबाईल टॉवर रखे जावे।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. प्रस्तावित योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स जयपुर विनियम 2020 के अनुसार देय होगे।
10. आन्तरिक विकास शुल्क की एवज मे 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते है–
भू.स. 18,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54 कुल भूखण्ड 17 कुल क्षेत्रफल 1296.35 वर्गमीटर

NOTE :- 1. AS PER DECISION OF BPC(LP) MEETING LEASE DEED OF PLOT NO. 1 TO 9, 111 to 116 SHALL BE ISSUED AFTER AVAILABILITY OF CLEAR 9.0M ROAD.
2. BUILDING PLAN SHALL BE APPROVED SEPERATELY OF INFORMAL COMMERCIAL BLOCK.
MAPS APPROVED IN COMPLIANCE OF BPC(LP) MEETING DECISION.

AMIN (ZONE-14) | A.T.P. (ZONE-14) | T.D.R (ZONE-14) | D.C. (ZONE-14)

S.P.P.
B.P.C.(L.P)

A.C.T.P
B.P.C.(L.P)